लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स अतहर हुसैन, प्रो0 अतहर हुसैन, पिता–मोहम्मद मुस्लिम, ग्राम–कालागाछ, पो0–मुंगरा, जिला–किशनगंज–855101 द्वारा महानंदा, बुढ़ी कनकई एवं ढॉक नदी के बालू घाट डुबानोची, ढाकपारा, रायपुर, केशोझाड़ा, पौआखाली एवं भरबखुनिया (किशनगंज यूनिट–01 कुल क्षेत्रफल–99.2 हेक्टेयर) प्रखण्ड–पोठिया, किशनगंज एवं ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 08.09. 2023 को अपराह्न 3:00 बजे किशनगंज जिला के प्रखण्ड कार्यालय, ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज में लोक–सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2421/2023, के आलोक में श्री अभिनय भास्कर, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज (जिला पदाधिकारी, किशनगंज के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 08.09.2023 को अपराह्न 3:00 बजे प्रखण्ड सभागार, ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 07.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोकहित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोकहित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। बालू लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब

सैन कुमार

वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में 992 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	मो0 नजरूल हक, जदयू प्रखण्ड अध्यक्ष, ठाकुरगंज, किशनगंज।	इनके द्वारा कहा गया कि बालू खनन घाट पर श्रमिको के लिए शेड एवं पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाय। परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना शुरू होने पर श्रमिको के लिए अस्थायी विश्राम स्थल/शेड/ पीने का पानी/ शौचालय आदि का निर्माण किया जायेगा, जिससे श्रमिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
2.	श्री बृज मोहन, मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत ढाकपारा, किशनगंज।	इनके द्वारा सुक्षाव दिया गया कि अनुमान्य सीमा से अधिक गहराई तक खनन कार्य नहीं किया जाय। खनन कार्य नियमानुसार किया जाय। बालू खनन के दौरान ओभरलोड गाडी नहीं चले एवं रोड के क्षमता के अनुसार ही वाहन का परिचालन हो। बिहार का खनिज बिहार से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्राप्त राजस्व का उपयोग आस-पास के इलाके के विकास के लिए किया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा तथा खनन कार्य सतह से अनुमान्य सीमा की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सिर्फ PUC प्राप्त वाहन का उपयोग किया जायेगा। परिवहन के दौरान बालू घाट से मुख्य सड़क तक (पहुँच पथ) पर ट्रैक्टर/ट्राली का उपयोग किया जायेगा।
3.	श्री रोहित आनन्द, पिता श्री ओम प्रकाश, ठाकुरगंज, किशनगंज।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि घाट पर काम करने वाले श्रमिको के लिए

		पीने का पानी तथा ठहरने की व्यवस्था की जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना शुरू होने पर श्रमिको के लिए अस्थायी विश्राम स्थल का निर्माण किया जायेगा, तथा श्रमिको को पीने के लिए एवं घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराया जायेगा।
4.	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, पिता श्री अनिल कुमार सिन्हा, पोआखाली, ठाकुरगंज, किशनगंज।	इनके द्वारा कहा गया कि बालू खनन के कारण यदि जमीन कटेगा तो उसका मुआवजा दिया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक एवं Semi Mechanised तरीके से किया जायेगा तथा खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। जमीन कटाव की कोई संभावना नहीं रहेगी।
5.	श्री मुरली सिंह, पिता मोती मोहन सिंह, सखुआडाली, किशनगंज।	इनके द्वारा पुछा गया कि बालू परिवहन के दौरान उड़ने वाले धुल के लिए क्या किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान धुलकंण उड़कर आस–पास नहीं गिरे, इसके लिए बालू परिवहन के दौरान गाडी को तिरपाल से ढक कर ही चलाया जायेगा एवं नियमित रूप से रास्ते पर जल का छिड़काव किया जायेगा।
6.	श्री आनन्द गोस्वामी एवं श्री तिरथ सिंह, कुकुरबाडी, किशनगंज।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि वृक्षारोपण के दौरान फलदार वृक्ष लगाया जाय।
7.	श्री कृष्ण बाबु पासवान, चुरली, किशनगंज।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू घाट को सीमाकंण कर किया जाय। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी बालू घाटों का सीमांकन *Geo fencing* आदि किया जायेगा।
8.	श्री टिंकु कुमार सिंह, पिता श्री मोहन लाल सिंह, सखुआडाली, किशनगंज।	इनके द्वारा कहा गया कि बालू खनन के दौरान आस–पास के लोगों को ही काम दिया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर योग्यतानुसार स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष

सैन कुमार

		एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।

खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से खनन प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन से प्राप्त राजस्व का 2% राशि इसमें संचित होता है। इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है जिससे राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही परिवहन करेंगे। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। उनके द्वारा बताया गया कि अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा गलगलिया में परिवहन चेक पोस्ट बनाने का सुझाव जिला प्रशासन को दिया गया है, जिससे अवैध परिवहन एवं ओभरलोडेड गाड़ीयों पर रोक लग सके। एवं अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णियाँ
बि.रा.प्र.नि.पर्षद

खनिज विकास पदाधिकारी
किशनगंज

वरीय उप समाहर्त्ता–सह–
जिला परिवहन पदाधिकारी,
किशनगंज

उपस्थिति सूची

मेसर्स अतहर हुसैन, प्रो0 अतहर हुसैन, पिता– मोहम्मद मुस्लिम, ग्राम – कालागाछ, पो0 – मुंगरा, जिला – किशनगंज – 855101 द्वारा महानंदा, बुढ़ी कनकई एवं दाहुक नदी के बालू घाट डुबानोची, ढाकपारा, रायपुर, केशोझाड़ा, पौआखाली एवं भरबखुनिया (किशनगंज यूनिट–01 कुल क्षेत्रफल–99.2 हेक्टेयर) प्रखण्ड–पोठिया, किशनगंज एवं ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.09.2023 को अपराह्न 3.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अमित्र मालाकार वरीय उपसमाहर्ता-सह-जिला परिवहन पदा०	समाहरणालय, किशनगंज	[signature] 08/09/23
2.	सैलेन्द्र कुमार क्षे० पदा० पुर्णिया	बि० रा० प्र० नि० पटना	सैलेन्द्र कुमार 8/9/23
3.	प्रमोद कुमार [illegible]	खनिज विकास पदाधिकारी किशनगंज	[signature] 08.09.23
4.	सुमित कुमार	प्र० वि० पदा०, ठाकुरगंज	[signature] 8.9.23
5.	Ahmed Hasan	जिला अध्यक्ष [illegible]	Ahmed Hasan
6.	Shyam lal [illegible]	प्रखण्ड प्रमुख ठाकुरगंज	[signature]
7.	Md. Minhaj Alam	Kelabari Powakhali Khodaganj Bahadur	[signature]
8.	Rakesh Sinha	Dalbari, Mohammad Nagar Khodaganj Bahadurganj	[signature]
9.	MD SHOUKAT	Kelabari Powakhali	MD SHOUKAT
10.	[illegible]	केलाबाड़ी पोआखाली ठाकुरगंज	[illegible]

11.	उमैर आलम	कोचाधामन पौआखाली बहादुरगंज किशनगंज	उमैर आलम
12.	Anand Kumar Goswami	At- Dhibripara Po- Thakurganj Dist. Kishanganj	A Goswami 8/09/23
13.	Rohit Anand	At- Dhibri, P.O- Thakur Dist- Kishang	Rohit Anand
14.	मुरली सिंह	ग्राम चारघिया जिला किशनगंज	Murli Singh
15.	Haroon Rashid	AT/PO- Belwa Dist- Kishanganj	Haroon
16.	श्याम पाo	Thakurganj	श्याम पाo
17.	मो० शब्बीर	रसूल / किशनगंज	Md. Shabbir
18.	अनवर हुसैन	दिघलबैंक किशनगंज	अनवर हुसैन
19.	मो० अरशद नामी	बहादुरगंज किशनगंज	[signature]
20.	मुश्ताक आलम	तारा बाड़ी दिघलबैंक	[signature]
21.	प्रदीप कुमार सिंह	पौआखाली	[signature]
22.	चन्द्रकिशोर [illegible]	[illegible]	[signature]
23.	Ashraf Azad	Powakhali	[signature]
24.	Anas Akhtar	Raipur	Anas
25.	Faiyaz Alam	Keshoghara	Faiyaz Alam

26.	Kalam	Keshoghara	কালাম
27.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28.	जितेन्द्र	[illegible]	जितेन्द्र
29.	रिन्कु कुमार	[illegible]	[signature]
30.	Md. Jiyaul	[illegible]	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible]	[signature]
32.	Md. Haider Reyazi	Bagoona Bahadurganj	[signature]
33.	Tanweer Alam	Kishanganj	[signature]
34.	Asrar Alam	Thakurganj	[signature]
35.	Ram kumar	Thakurganj	[signature]
36.	Gufran Perwez	Dighal bank	[signature]
37.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38.	[illegible]	[illegible]	[signature]
39.	Bikram Kumar	Kishanganj	[signature]
40.	[illegible]	Thakurganj	[signature]

41.	अखिलेश कुमार	Thakur ganj	[illegible]
42.	Ranjit Kr Singh	Kumarbaghi	[illegible]
43.	Bahauddin	Birnabari	[illegible]
44.	Keshav Prasad	Taiabpur	[illegible]
45.	Saroj kumar Singh	Mining office Kishanganj	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	Budhbaram	Thansgar	[illegible]
48.	Md Saifuddin	Thakurganj	[illegible]
49.	[illegible]	Bhatgaon	[illegible]
50.	Manoj Kr Giri	Bhatgaon	[illegible]
51.	Sarvesh Kumar	D.T.O. office Kish	[illegible]
52.	Nitish Kumar	PAM Solution, Noida (Env. Consultant)	Nitish Ku
53.			
54.			
55.			